

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
M.P., GWALIOR

क्रमांक: प्रशा-XI/समूह-I/F-16/व.ले.प.अ./पदोन्नति/का.आ./504

दिनांक: 27.02.2026

कार्यालय आदेश/Office Order-504

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 19-स्टाफ (नियुक्ति-III)/2024 दिनांक 01.07.2024 तथा मुख्यालय के पत्र संख्या 119/स्टाफ नियुक्ति-III/210-2019/Vol.VI दिनांक 02.02.2026 में निहित निर्देशों के अनुसार, महालेखाकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से काल्पनिक (notional) रूप से पदोन्नत किया जाता है:

As per the directions contained in Headquarters' Circular No. 19-Staff (Appt.III)/2024 dated 01.07.2024 and Headquarters' letter No.119/Staff Appt. III/210-2019/Vol.VI dated 02.02.2026, the Accountant General is pleased to grant notional promotion to the following officers with effect from the date mentioned against their names:

Sl. No.	नाम एवं स्थाई संख्या (श्री) Name & Permanent. No. (Shri)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर काल्पनिक पदोन्नति की तिथि Date of notional promotion to the post of Audit Officer	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर काल्पनिक पदोन्नति की तिथि Date of notional promotion to the post of Senior Audit Officer
1.	सहजानंद Sahajanand (01/6511)*	28.02.2017	-
2.	कमल सचदेवा Kamal Sachdeva (01/6418)#	07.12.2018	20.11.2019

* श्री सहजानंद दिनांक 17.08.2018 से लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होकर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।
Shri Sahajanand had already been promoted and joined as Audit Officer w.e.f 17.08.2018.

श्री कमल सचदेवा दिनांक 09.05.2024 से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होकर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।
Shri Kamal Sachdeva had already been promoted and joined as Senior Audit Officer w.e.f. 09.05.2024.

वास्तविक पदोन्नति की तिथि यथावत रहेगी, अर्थात् वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही प्रभावी मानी जाएगी।

Actual promotion date will remain as it is i.e. from the date of joining on the post of Sr. Audit Officer/Audit Officer.

1. यह पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 629/2022 (एस.एल.पी (सी) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न) 'जरनैल सिंह एवं अन्य' मामले में दिनांक 28.01.2022 को दिए गए निर्णय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-Estt.(Res.) दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त बैच मामलों में पारित होने वाले आगामी आदेशों के अधीन होगी।

The promotion shall be subject to the Judgement dated 28.01.2022 of the Hon'ble Supreme Court in Jarnail Singh & Ors in civil appeal No. 629/2022, arising out of S.L.P(C) No. 30621/2011, and further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the said batch cases, pending in the Supreme Court of India, as mentioned in DoPT's O.M.No.36012/16/2019-Estt.(Res.) dated 12.04.2022.

2. वेतन निर्धारण DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2020-Estt (Res-II) दिनांक 28.12.2023 के पैरा 5 (ii) के अनुसार काल्पनिक आधार पर किया जाएगा। किसी भी बकाया (arrears) का भुगतान नहीं किया जाएगा। Pay fixation shall be carried out on a notional basis in accordance with the Para 5 (ii) of DoPT's OM No.36012/2020-Estt (Res-II) dated 28.12.2023. No arrears shall be payable.

3. उपर्युक्त सभी अधिकारी संबंधित प्रशासन अनुभाग में एक माह के भीतर केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प (option) का प्रयोग कर सकते हैं। All the above officers may exercise their option for fixation of pay as per provisions under CCS (RP) Rules 2016 within one month in respective Administrative Section

(महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

क्रमांक: प्रशा-XI/समूह-I/F-16/व.ले.प.अ./पदोन्नति/जा-1212

दिनांक: 27.02.2026

प्रतिलिपि:-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/Staff Appt. III, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को पदोन्नति आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

क्रमांक: प्रशा-XI/समूह-I/F-16/व.ले.प.अ./पदोन्नति/Email

दिनांक: 27.02.2026

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. उप निदेशक (केन्द्रीय प्राप्ति), महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली का कार्यालय, ग्वालियर शाखा।
6. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर आपदा प्रबंधन के संदर्भ में।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन 11, 12, 13, 14, APSMU, DADSS, AIC-I,II&III, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, फास, फाप, आई.टी.ए., हिंदी कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट-पी.ए.सी., समन्वय कक्ष, संपदा प्रबंधन अनुभाग एवं कल्याण कक्ष।

9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (DAG Cell)/ए.एम.जी.-I,II,III,IV एवं V ।
10. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing & E-Cell को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर प्रविष्टि कार्य हेतु।
12. महामंत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन, ग्वालियर।
13. महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
14. संबंधित अधिकारी ।
15. सूचना पटल।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11


27.02.26